UPAL010059172026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी– राकेश वशिष्ठ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6270

Anticipatory Bail Application/2734/2026

हिमान्शू पुत्र हरवीर सिंह निवासी मौहल्ला सराय रहमान थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–321/2026
अन्तर्गत धारा–3,4,5,6,7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
थाना–बन्नादेवी, जिला अलीगढ

दिनांक 08.06.2026 –

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त हिमान्शू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–321/2026 अन्तर्गत धारा–3, 4, 5, 6, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना–बन्नादेवी, जिला–अलीगढ़ में मय शपथपत्र मिनजानिव स्वंय जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 23.04.2026 को मैं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह मय हमराही मय सरकारी वाहन मय श्रीमती श्वेता जिंदल नायब तहसीलदार तहसील कोल जिला अलीगढ़ उच्चाधिकारीगण के आदेश व निर्देश के क्रम में अवैध कार्य जुआ, सट्टा, देह व्यापार, अवैध हुक्का बार व मादक द्रव्यों की विक्री आदि की रोकथाम हेतु सर्किल 02 क्षेत्र मे भ्रमणशील होकर रसलगंज चौराहे पर पहुँचा जहाँ पर प्रभारी निरीक्षक बन्नादेवी अलीगढ श्री राजीव कुमार मय उ0नि0 ईशान्त सिंह व उ0नि0 रवि कुमार व महिला उ0नि0 श्रीमती प्रिया चौधरी, म0का0 2180 मीरादेवी, म0का0 195 अनीता यादव व मुख्य आरक्षी 550 रमेशचन्द्र मय सरकारी वाहन के मौजूद थे वाहन चौकिग कर रहे थे चौंकिग के दौरान जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मोहल्ला सराय रहमान मसूदाबाद में स्थित होटल दा सैलीब्रेशन के संचालक मालिक सतेन्द्र पुत्र किशन लाल निवासी सराय रहमानन जी०टी० रोड थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ़ के द्वारा होटल में अवैध तरीके से लडकिया रखकर पुरुष ग्राहको को बुलाकर वेश्यावृति का कार्य कराया जा रहा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मै क्षेत्राधिकारी मय नायब तहसीलदार मय थाना प्रभारी बन्नादेवी मय महिला व पुरुष अधिकरी कर्मचारी गण के मय अपने अपने सराकारी वाहन के मुखबिर को लेकर मुखबिर के बताये अनुसार मसूदाबाद बस स्टैण्ड से पहले जी०टी० रोड पर मुखबिर द्वारा वाहनो को रुकवाकर बाये हाथ पर स्थित गली के अन्दर बने होटल की ओर इशारा करके बताया कि इसी होटल में होटल संचालक मालिक सतेन्द्र कुमार के द्वारा वैश्यावृत्ति का धन्धा कराया जा रहा है और होटल की बिल्डिग में कुछ लडके लडकिया मौजूद है होटल में वैश्यावृति का कार्य चल रहा है मुखबिर बताकर मौके से हट बढ़ गया मैं क्षेत्राधिकारी व नायाब तहसीलदार तहसील कोल व पुलिम टीम ने महिला ने महिला की तथा पुरुषों ने पुरुषों की एक दूसरे की जामा तालाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई भी नाजायज संदिग्ध वस्तु नहीं है। वाहन व वाहन चालक को वही रोड पर छोड़कर मौजूद पुलिस बल के साथ टीम बनाकर होटल दा सेलीब्रेशन में पहुंचे तथा मुखबिर द्वारा बताये गए होटल बिल्डिंग के ऊपरी तल

पर एक साथ सिखलाये हुए तरीके से छापामारी की गयी तो होटल में काउन्टर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो हम पुलिस वालो को देखकर होटल के अन्दर की ओर भागते हुये कहने लगा कि भागो पुलिस आ गयी अचानक हम पुलिस वालों को देखकर होटल के कमरों में मौजूद महिलाएं व पुरुष हड़बड़ा गये और होटल में कमरे खुलने व बन्द होने की आवाजे आने लगी तो हम पुलिस वालो ने होटल के कमरो को महिला की लोक लाज व गरिमा को ध्यान में रखते हुये चौक किया गया तो होटल के कमरो में मौजूद महिलाये व पुरुष अर्दध नग्न अवस्था ध आपतिजनक अवस्था में मौजूद पाये गये जिन्हें बलिहाज पर्दा कपड़े पहनने का मौका दिया गया, तथा होटल में मिले पुरुष व महिलाओ को मौके पर ही पकड़ लिया गया पकडे गये पुरुषो की जामा तलाशी लेते हुये नाम पता पूछा तो होटल के काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सतेन्द्र पुत्र किशनलाल निवासी सराय रहमान थाना बन्नादेवी अलीगढ उम्र करीब 43 वर्ष बताया तथा जामातलाशी ली गयी तो पहने पेन्ट से मोबाइल फोन ओपो कम्पनी रंग सफेद मोबाइल नम्बर 97575XXXXX तथा पेन्ट की दाहिने जेब से 900 रुपये तथा काउंटर पर रखे एक डिब्बा कन्डोम के पैकेट जिसे खोल कर गिनती की गयी तो 115 निरोध कन्डोम तथा काउटर पर रखी हुई एक बिल बुक व एक आगुन्तक रजिस्ट्रर व दो अदद हिसाब रजिस्ट्रर छः अदद आधार कार्ड पाँच एटीएम कार्ड व एक पैन कार्ड व दो QR CODE स्कैनर PAYTM, PHONEPE बारह विजिटिंग कार्ड व पैन दो अदद इस्तेमाली बरामद हुये तथा होटल में कमरे में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम विनय दीक्षित पुत्र रामप्रकाश निवासी कस्बा व थाना चन्दपा जिला हाथरस उम्र करीब 38 वर्ष बताया जामा तलाशी से पेन्ट की जेब से दस अदद कन्डोम पैकेट व एक सौ पचास रुपये नकद तथा एक अदद मोबाइल फोन मोटोरोला रंग आसमानी मोबाइल नम्बर 89237XXXXX बरामद हुआ तथा मौजूद महिला ने अपना नाम पिंकी शर्मा उर्फ जोया पुत्री स्व० सन्दीप शर्मा निवासी रुसा हास्पिटल के पास गेट बन्द कालोनी थाना सासनीगेट जिला अलीगढ़ बताया तथा जामा तलाशी महिला उ0नि0 श्रीमती प्रिया चौधरी के द्वारा महिला की लोक लाज को ध्यान में रखते हुये ली गयी तो एक अदद मोबाइल फोन मोटोरोला यौन रंग का मोबाइल नम्बर 78950XXXXX बरामद हुआ तथा दूसरे कमरे में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम सन्तोष कुमार पुत्र बलवीर सिंह निवासी शिव कालोनी थाना हाथरसगेट जिला हाथरस उम्र करीब 43 वर्ष बताया तथा जामातलाशी से पहने पेन्ट की जेब से एक अदद मोबाइल फोन मोटोरोला रंग गोल्डन मोबाइल नम्बर 98978XXXXX तथा 200 रुपये नगद तथा 16 अदद कन्डोम के पैकेट तथा दाहिनी जेब से एक अदद चाबी महेन्द्रा कार की बरामद हुयी तथा मौजूद महिला ने अपना नाम निशा पुत्री राकेश निवासी रेलवे स्टेशन के पास वाल्मीक बस्ती कस्बा व थाना सिकन्दराराऊ जिला हाथरस बताया तथा जामा तलाशी महिला उ0नि0 श्रीमती प्रिया चौधरी के द्वारा महिला की लोक लाज को ध्यान में रखते हुये ली गयी तो एक अदद ओपो कम्पनी रंग गुलाबी मोबाइल नम्बर 89237XXXXX, 90686XXXXX बरामद हुआ तथा होटल के कमरे में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम नवनीत यादव पुत्र सुरेशचन्द्र यादव निवासी गूलर रोड गली नं0 01 थाना देहलीगेट जिला अलीगढ बताया तथा जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी का ।40 मोबाइल नम्बर 87915XXXXX व 250 रुपये नकद व आईसीआईसीआई का एटीएम कार्ड बरामद हुये तथा 14 अदद कन्डोम के पैकेट बरामद हुये मौजूद महिला ने अपना नाम दुर्गेश उर्फ सोना पत्नी बबलू पुत्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम लाडपुर जलेसर रोड थाना हाथरस जक्शन हाथरस बताया तथा जामा तलाशी महिला उ0नि0 श्रीमती प्रिया चौधरी के द्वारा महिला की लोक लाज को ध्यान में रखते हुये ली गयी तो दो अदद मोबाइल फोन जिसमे एक टेकनो कम्पनी रंग स्लेटी तथा दूसरा ईनफिक्स रंग नीला मोबाइल

नम्बर 93892XXXXX बरामद हुआ तथा होटल के कमरे में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम समीर पुत्र सफीक निवासी कोहिनूर तिराहा पंडित नगला थाना कटघर जिला मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष बताया जामा तलाशी सेन एक अदद मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी रंग नीला गहरा तथा जेब से 605 रुपये नगद बरामद हुआ तथा होटल के प्रत्येक कमरों में तलाशी लेने पर गद्दों के नीचे, और फर्स व डस्टबीन में प्रयोग किये गये कण्डोम के खाली रेपर व उपयोग किये गये कण्डोम, तथा बीड़ी सिगरेट के बन्डल व पैकेट अधजली बीडी व सिगरेट एवं शराब/बीयर की खाली बोतल/कैन प्रयोग किये गये डिस्पोजल गिलास होटल बरामद हुये तथा आगन्तुक रजिस्टर जिसमें अप्रैल माह की कोई एन्ट्री नहीं है पकड़े गये पुरुष व महिलाओं ने पूछताछ करने पर बताया कि हम यहाँ पैसा ले देकर वेश्वावृत्ति करते व कराते हैं तथा महिलाओं के द्वारा बताया गया कि होटल मालिक सतेन्द्र कुमार व कमल सिंह व हिमान्शु द्वारा हम लोगो को बुलाते हैं और इसी होटल के कमरो में रुकवाते है तथा होटल में आने वाले ग्राहको से रुपये लेकर हमारे पास कमरो में भेज देते है तथा ग्राहको से आने वाले रुपयो में हमारा और होटल मालिक से हिस्सा बॉट लेते है इसका हिसाब किताब रजिस्ट्रर लिखकर रखते है तथा सन्तोष कुमार के द्वारा बताया गया कि मेरे पास में जो चाबी है वह गाडी बुलरो रंग नीला नम्बर UP86AU5551 एलआईसी बिल्डिंग के पास में खड़ी करके आये है और मेरी गाडी वहा पर खड़ी है उक्त वाहन के कागजात सन्तोष कुमार से माँगे गये तो दिखाने में कासिर रहा बरामद सामान को कब्जे पुलिस में लेकर वाहन संख्या UP86AU5551 कार बुलेरो को उ0नि0 ईशान्त सिंह से ई चालान एप पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज करायी गयी होटल संचालकध्मालिक सतेन्द्र कुमार के द्वारा पूछने पर बताया कि साहब मैं तथा मेरे बड़े भाई कमल सिंह पुत्र किशनलाल व मेरा भान्जा हिमांशु पुत्र हरवीर सिंह निवासीगण सराय रहमान थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ़ मिलकर होटल चलाते है तथा वैश्यावृति से जो रुपया आता है उसे बराबर हिस्से में बाट लेते है आज ये लोग यही पर मौजूद थे पुलिस के आने की वजह से मेरा भाई कमल सिंह व मेरा भान्जा हिमान्शु मौके से भाग गये होटल मालिक सतेन्द्र कुमार के द्वारा अपने दा सेलीब्रेशन होटल में महिलाओ को आसरा जगह देकर अपने होटल को वेश्याग्रह के रुप में प्रयोग कर रहे है इनमें महिलाओ से वेश्यावृति कराते है पकडे गये महिला व पुरुषो का यह कृत्य जुर्म धारा 3,4,5,6,7 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है पकडे गये पुरुषो व महिलाओ को कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 23.04. 2026 को समय करीब 23.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया बरामद सामान को अलग अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बो में रखकर सील सर्व मोहर का नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्तगणों की जामातलाशी से बरामद फोन व रूपयों व कान्डम को अभियुक्तबार अलग अलग पारदर्शी डिब्बों में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाये गये।

3. इसके विपरीत आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दुश्मनी व गलत फहमी के कारण झूँठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कथित घटना से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह विद्यार्थी है बी0एस0सी0 फाइनल की पढाई कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को मौके से भागना बताया है और उसका नाम पकडे गये व्यक्तियों जो रिश्ते में मामा होते हैं उनके द्वारा लिखा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामाओं से कोईसम्बन्ध नहीं है। पूर्व में झगडा होने के कारण उसका नाम झूँठा लिखा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है वह होटल मालिक नहीं है। अन्य अभियुक्तगण की जमानत विचारण न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई मैडीकल परियोजन दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है न ही पूर्व सजायाफता है। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

5. सुना तथा केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

6. उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनैतिक देह व्यपार में संलिप्त होने व तलाशी लेने पर गद्दों के नीचे, और फर्स व डस्टबीन में प्रयोग किये गये कण्डोम के खाली रेपर व उपयोग किये गये कण्डोम, तथा बीड़ी सिगरेट के बन्डल व पैकेट अधजली बीडी व सिगरेट एवं शराब/बीयर की खाली बोतल/कैन प्रयोग किये गये डिस्पोजल गिलास होटल बरामद हुये तथा आगन्तुक रजिस्टर जिसमें अप्रैल माह की कोई एन्ट्री नहीं है पकड़े गये पुरुष व महिलाओं ने पूछताछ करने पर बताया कि हम यहाँ पैसा ले देकर वेश्यावृत्ति करते व कराते हैं, का आरोप है।

7. **जहॉ तक बचाव पक्ष का यह प्रश्न कि सहअभियुक्तगण की जमानत स्वीकृत हो चुकी हो है, यह बात सही है किन्तु सहअभियुक्तगण की जमानत नियमित जमानत जिला कारागार में निरूद्ध रहते हुये स्वीकृत की गयी है। जबकि अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र. प्रस्तुत किया गया है। धारा–6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 10 साल की सजा प्रावधानित है।**

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। जिस पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी जिसके अनुसार अभियुक्त हिमांशू पुत्र हरवीरन निवासी सराय रहमान थाना बन्नादेवी अलीगढ़ द्वारा अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर अनैतिक देह व्यापार में लिप्त रहा है। जैसा कि विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है। अभियुक्त हिमांशू उक्त मुकदमे में नामित अभियुक्त है व बयान हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है। यदि अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली जाती है तो अभियुक्त गवाहों को धमकायेगा व साक्ष्यों को प्रभावित करेगा। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है जिसमें नये तथ्यों का समावेश होना सम्भव है।

9. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सलोचना परदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य निर्णय दिनांकित 06 जनवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अग्रिम जमानत देने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिये खासकर जहॉ आरोप प्रथम दृष्टया गम्भीर अपराधों के घटित होने का संकेत देते हैं जिसके लिये हिरासत में कुछ पूछताछ आवश्यक है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अग्रिम जमानत एक अपवाद है नियम नहीं है।**

10. अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत हेतु आधार पर्याप्त नहीं हैं।

आदेश

अभियुक्त हिमांशू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–08.06.2026

(राकेश वशिष्ठ)
विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीगढ़।
UP 6270

Steno– Rajeev Prakash

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2026.06.09 11:15:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court